बढ़ती हुई कीमतों की वजह से अपर्याप्त हो जाती है क्योंकि इसका पुनरीक्षण प्रत्येक वर्ष नहीं किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करने का विचार रखती है कि छात्र वृत्ति व शिष्यवृत्ति का शैक्षिक सत्र आरम्भ होने से पहले प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षण कर लिया जाए ताकि मूल्य वृद्धि को संतुलित करने हेतु छात्रवृत्ति व शिष्य-वृत्ति भी अपने आप उचित समय में बढ़ जाए ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) छात्र-वृत्ति योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर अथवा माध्यमिकोत्तर स्तर पर अध्ययन कर रहे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को आर्थिक "सहायता" देना है जिससे कि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। छात्रवृत्ति की श्रेणी में अनु-रक्षण खर्च, शुल्क और अनुमोदित अध्ययन यात्राओं पर व्यय तथा शोध प्रबंध के टंकण मुद्रण जैसे तत्व शामिल हैं। अनु-रक्षण खर्च के अलावा पात्र छात्रों को नामांकन, पंजीकरण, शिक्षा शुल्क, खेल-कूद, संघ शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, पत्रिका शुल्क, चिकित्सा परीक्षण शुल्क और छात्रों द्वारा संस्था को देय कोई अन्य अनिवार्य शुल्क से संबंधित शुल्क भी दिए जाते हैं। योजना में रहन-सहन सूचकांक लागत में बढ़ोतरी के कारण संतुलन हेतु निष्प्रभावन की व्यवस्था नहीं है।

भारत सरकार ने हाल ही में अनु-रक्षण भत्ता तथा आय सीमा आदि का पुनरीक्षण तथा संशोधन किया है जो 1-7-89 से लागू किया गया है।

Setting up of a National Network of Building Centres

*279. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to set up a National Network of Building Centres to provide low cost housing material and technology and facility for imparting training to local artisans in each district; and

(b) if so, the number of centres set up so far State-wise?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI MURASOLI MARAN) : (a) The scheme of the National Network of Building Centres has already been launched since 1988-89 and is being operated through HUDCO in collaboration with State agencies and voluntary organisations.

(b) As per information available till March 1990, the number of Building Centres set up, Statewise is given below :—

State	Centres Constituted
Andhra Pradesh	8
Assam	1
Bihar	2
Gujarat	5
Haryana	1
Karnataka	14
Kerala	14
Madhya Pradesh	2
Maharashtra	8
Meghalaya	1
Orissa	1
Punjab	1
Rajasthan	10
Uttar Pradesh	6
Tamil Nadu	5
West Bengal	2
Delhi	2
Andaman & Nicobar Islands	1
Pondicherry	1
TOTAL	85